भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिटीजन चार्टर बनाये जाने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा–4(1)बी में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय के सम्बंध में सूचना।

(4) लोक प्राधिकारियों की बाध्यताये–1 प्रत्येक लोक अधिकारी (क) अपने सभी अभिलेखो को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्ति–युक्त समय के भीतर है और संसाधनो की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्व है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर बनाया जा सके।	पुलिस की वेब साइट पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 लखनऊ की सूचना उपलब्ध है।
(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर (I) अपने संगठन विशिष्टियॉ कृत्य और	भ्रष्टाचार निवारण संगठन (भ्र0नि0सं0) उ0प्र0 लखनऊका गठन शासनादेश संख्या:2049 / 8–1–64 / 76 दिनॉकित 18.04.1977 हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक संगठन के विभागाध्यक्ष है, जिनकी सहायता एक पुलिस महानिरीक्षक, दो पुलिस उपमहानिरीक्षक करते है। संगठन की 11 इकाईयां हैं, जिनके प्रभारी पुलिस

कर्तव्य	उपाधीक्षक होते हैं तथा उनका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जता है। संगठन अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी तक के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा विभागाध्यक्षों या जिला मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर पुलिस विभाग के इन्सपेक्टर पद के समकक्ष अन्य विभागों के अधिकारिया/कर्मचारियों के विरूद्ध जॉच/विवेचना सम्पादित करता है। संगठन भ्रष्टाचार, बलात्, जानबूझकर बदला लेने तथा परेशान करने की प्रवृत्ति, बुरे नीयत से आपातकालीन विशेष अधिकारों का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्धित मामलों की जांच व विवेचना सम्पादित करता है। संगठन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अभिसूचना एकत्र करके ट्रैप भी डालता है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संदर्भितकिये जाने पर राज्य के गैर राजपत्रित लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करना संगठन भ्रष्टाचार के मामलों का विश्लेषण करके तथा समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में शासन को समय–समय पर सुझाव देना।
(II)अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य–	अपर पुलिस महानिदेशक संगठन के विभागाध्यक्ष है, जिनकी सहायता एक पुलिस महानिरीक्षक, दो पुलिस उपमहानिरीक्षक करते है।संगठन की 11 इकाईयां हैं, जिनके प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होते हैं तथा उनका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जता है।
(III)विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है–	संगठन मुख्यालय द्वारापर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है।
(IV) अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	संगठनमुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ अपने अधीनस्थ इकाईयों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश/प्रक्रियातथा दाण्ड़िक विधि के अनुसार निर्णय लिया जाता है,एवं तद्नुसार कार्यवाही हेतु इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते है।

(V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	संगठनमुख्यालय उ0प्र0 लखनऊउ0प्र0शासन, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देश तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के प्रावधानो के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।संगठन के कार्मिक उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की(दण्ड़ एवं अपील) नियमावली, 1991 व उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 से शासित होते है।
(VI) ऐसे दस्तावेजो के जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण–	संगठन के अभिलेखों का कोई श्रेणीकरण नहीं है, परन्तु उसके अधीनस्थ अनुभागों में अभिलेख का रख–रखाव इकाईवार अलग–अलग किया जाता है।
(VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है–	ट्रैप के मामलों में संगठन की स्थिति इकाईयों पर शिकायतकर्ता शिकायत करता हैं, तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आम जनता को उत्कोच मांगे जाने पर संगठन की इकाईयों व मुख्यालय पर सम्पर्क करने के लिए दूरभाष/मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया गया है।
(VIII) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है क्या उन बोर्डो परिषदो, समितियो, और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहॅुच होगी,	संगठन एक अन्वेषण अधिकरण है।

विवरण—	
(IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क0सं0	नियतन	पदनाम
1.	01	अपर पुलिस महानिदेशक,
2.	01	पुलिस महानिरीक्षक,
3.	02	पुलिस उपमहानिरीक्षक,
4.	01	पुलिस अधीक्षक,
5.	03	अपर पुलिस अधीक्षक,
6.	16	पुलिस उपाधीक्षक,
7.	01	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
8.	01	अभियोजन अधिकारी,
9.	90	निरीक्षक,
10.	—	निरीक्षक(गोपनीय)
11.	20	उपनिरीक्षक(गोपनीय)
12.	—	निरीक्षक(लिपिक)
13.	08	उपनिरीक्षक(लिपिक)
14.	—	उपनिरीक्षक(लेखा)
15.	—	सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
16.	12	सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
17.	—	उपनिरीक्षक ना0पु0

18.	02	मुख्य आरक्षी
19.	83	आरक्षी
20.	—	डिस्पैच राइडर
21.	01	मुख्य आरक्षी परिवहन
22.	18	आरक्षी चालक / मुख्य आरक्षी चालक
23.	—	कम्प्यूटर आपरेटर(ग्रेड–प्रथम) सम्बद्ध
24.	21	ओ0पी0 / पी0ओ0पी0 (चतुर्थ श्रेणी)
25.	01	दफ्तरी
26.	01	सफाई कर्मी
27.	01	वाटरमैन कम माली

(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलत है।–

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतनमान का विवरण

क0सं0	पद नाम	वेतनमान
1.	अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0	67000.79000 एचएजी
2.	पुलिस महानिरीक्षक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0	37400–67000 ग्रेड पे– 10000 / –
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0	37000–67000 ग्रेड पे– 10000 / –
4.	पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0	15600–391000 ग्रेड पे– 6600 / –
5.	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0	15600–391000 ग्रेड पे– 6600 / –
6.	पुलिस उपाधीक्षक, भ्र0नि0सं0	15600–391000 ग्रेड पे– 5400 / –

<table>
<tr><td></td><td>

7.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 6600/—
8.	अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 5400/—
9.	निरीक्षक	9300—34800 ग्रेड पे— 4600/—
10.	उ0नि0एम0/आशुलिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200/—
11.	उ0नि0एम0/आंकिक/प्रधान लिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200/—
12.	सहायक उ0नि0एम0	5200—20200 ग्रेड पे— 2800/—
13.	मुख्य आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2400/—
14.	आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2000/—
15.	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 ग्रेड पे— 1800/—

</td></tr>
<tr><td>(XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टिंया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट—</td><td>————————————</td></tr>
<tr><td>(XII) सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है—</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(XIII) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की</td><td>लागू नही</td></tr>
</table>

विशिष्टयॉ–	
(XIV) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो–	सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में अभी उपलब्ध नहीं है।

(XV) सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है–

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किस स्तर से	समयावधि	
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ	प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक (राजकीय अवकाश को छोडकर)	
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त	
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	बिलम्बतम 30 दिवस	
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रू0 10/– प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रू0 05/– प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रू0 50/– प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)	भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	बिलम्बतम 30 दिवस	
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रू0 10/– प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	बिलम्बतम 30 दिवस	
6	अभिलेखीय सूचना रू0 02/– प्रति पृष्ठ	भ्र0नि0स0उ0प्र0 लखनऊ के	बिलम्बतम 30 दिवस	

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>की दर से</td><td>मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td><td></td><td></td></tr>
</table>
संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय/वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है, लोक उपयोग के लिए नहीं है।
</td></tr>
<tr><td>(XVI)लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ––</td><td>जनसूचना अधिकारी मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0 लखनऊसी0यू0जी0 नम्बर 9454400431 है।अपीलीय अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0 लखनऊ सी0यू0जी0 नम्बर 9454400218 है।</td></tr>
<tr><td>(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जो–</td><td>––––––––––––</td></tr>
</table>